न्यायालय भूमि सुधार उप– समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 75/2021–22

अनुसूची –14 फॉरम सं0– 563 (वसीयतनामा स्वीकृति)

आदेश की क्र0सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी

14/04/22

आवेदक मंजू कुजूर, पति स्व0 कयुस कुजूर, ग्राम+थाना – बसिया, जिला– गुमला (झारखण्ड) ने निम्नांकित विवरणी की भूमि को वसीयतनामा द्वारा भूमि हस्तांतरण करने हेतु अनुमति के निमित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया।

भूमि का विवरणी

राजस्व ग्राम	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	जमीन किस्म
बसिया	50	130	2071	0.6 एकड़	

कुल 0.06 (छः डिसमील)

प्लॉट सं0 2071 का चौहदी :– उत्तर में – साकिन प्लॉट सं0 2071, दक्षिण में – साकिन प्लॉट सं0 2068, पुरब में – साकिन प्लॉट सं0 2071, पश्चिम में – प्लॉट सं0 2071

जमीन विक्रेता का विवरणी

मंजू कुजूर, पति स्व0 कयुस कुजूर, ग्राम+थाना – बसिया, जिला–गुमला

जमीन क्रेता का विवरणी

आसित बागे, पिता मटन मुण्डा, जाति मुण्डा, ग्राम+पो0+थाना – थाना, जिला गुमला ।

आवेदिका द्वारा आवेदित भूमि को प्रस्तावित वसियतनामा प्राप्त कर्त्ता आसित बागे, पिता मटन मुण्डा, जाति मुण्डा, ग्राम+पो0+थाना – बसिया, जिला– गुमला के नाम वसियतनामा करने का कारण आवेदिका काफी वृद्ध होने अपने बल बुते जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है तथा बराबर बिमार रहते है वृद्ध का सेवा सुश्रुवा वसियतनामा प्राप्त कर्त्ता करते आ रहे है तथा ताजिन्दागी सेवा करते रहेंगे वो हर प्रकार का देख

भाल वसियतनामा प्राप्त कर्त्ता करते चले आ रहे है इनकी सेवा सुश्रुवा से आवेदिका काफी खुश है। इसलिए आवेदिका वसियतनामा प्राप्त कर्त्ता करने वाले विपक्षी के नाम वसियत नाम करना उचित समझते हुए विपक्षीगण के नाम उपरोक्त भूमि को वसियत नामा कर रहे है अंचलाधिकारी, बसिया को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईश्तेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, बसिया के कार्यालय के पत्रांक 155 दिनांक 08/04/2024 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदिका को जमीन वसियत नामा करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के उपरान्त अब तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती, भू–हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू–अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति उराँव एवं मुण्डा के है साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी, बसिया के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदिका मंजू कुजूर, पति स्व0 कयुस कुजूर, ग्राम+थाना – बसिया, जिला– गुमला को विपक्षी के साथ वसियत नामा करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप –समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)

(मुहर: भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बसिया, (गुमला))

14/04/24

भूमि सुधार उप –समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.07.15 15:17:10 +05:30
Location: 192.168.1.10